भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

TREASURY OFFICER GHAZIABAD

20 AUG 2018

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 169372

-:2:-

विदित हो कि एक किता आवासीय सम्पत्ति रकबई कुल **3491.07** वर्गमीटर, जिसमें चौदह कमरे निर्मित है, सम्बन्धि खसरा नं0 **1011 व 1012,** स्थित ग्राम लोनी (चकबन्दी बाहर) परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद का मै प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज हूं। उपरोक्त सम्पत्ति को किराये पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वर्णित सम्पत्ति को किराये आदि पर देने में कोई वैधानिक दोष व त्रुटि नही है। अब प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उक्त वर्णित सम्पत्ति अपनी खुशी व रजामन्दी व समस्त स्वस्थ इन्द्रियों के दशा मे किराये पर तिथि **21–07–2018** से अन्दर मियाद **उन्नतीस वर्ष** तक की अवधि के लिये देना तय पाया है तथा पक्षकारो मे निम्नलिखित शर्ते तय पायी है, जिनके पाबन्द दोनो पक्ष व वारिसान पक्ष रहेंगे।

1–यह कि तय शुदा किराये की धनराशि में कमी वेसी करने का अधिकार किसी भी पक्ष को नही होगा।

-:6:-

सीमाः–

पूरबः–प्लाट दीगर पश्चिमः–रास्ता 40 फुट

उत्तरः–रास्ता 20 फुट दक्षिणः–प्लाट दीगर

अतः यह किरायेदारी अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 21-08-2018 को स्थान गाजियाबाद मे हम दोनो पक्षकारान ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की

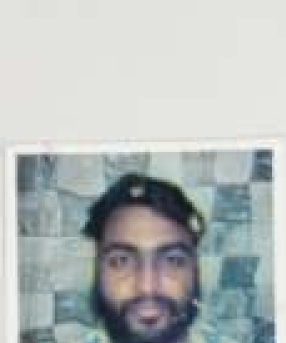

PARMOD BANSAL

Tanal Compound, Ghaziabad

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

TREASURY OFFICE GHAZIABAD 20 AUG 2018 TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 169373

-:7:-

दशा मे खुब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के रूबरू हाशिया गवाहान के तहरीर कर दिया कि सनद रहे ओर समय पर काम आवे

(हस्ताक्षर सम्पत्ति मालिक) (हस्ताक्षर किरायेदार)

गवाह:–
श्री अमित बंसल पुत्र श्री राजवीर सिंह
निवासी ग्राम गढी कटैया लोनी जिला गाजियाबाद।

गवाह:–
श्री संकेत कसाना पुत्र श्री सुरेन्द्र कसाना
निवासी ग्राम जावली जिला गाजियाबाद।

मसौदा दिनांक 21-08-2018 **प्रमोद बंसल**, बैनामा लेखक, चैम्बर नं0 97, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद ने मौका देखा नही है। यह दस्तावेज पक्षकारान के कथनानुसार व दी गयी सूचनाओ के आधार पर तैयार किया गया है।

PARMOD BANSAL
Deed Writer
Ch. No.-97
Tehsil Compound, Ghaziabad

पुष्ट विक्रय क्र० 340 / 238 तिथि 21/08/2018
स्टाम्प जारी करने का प्रयोजन ....
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....
....
स्टाम्प की धनराशि 1000/-
त्रिलोक चन्द शर्मा स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स नम्बर 69
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 20
सब रजि० 4 कार्यालय .... गाजियाबाद

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 36404 के पृष्ठ 391 से 408 तक क्रमांक 18552 पर दिनाँक 21/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हनुमंत प्रसाद
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
गाजियाबाद
21/08/2018

दफ्तर सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद * उत्तर प्रदेश *
सत्यमेव जयते

21-08-2018 9:05 P

SHEJAL PARAMOUNT PUBLIC SCHOOL
40 FUTA ROAD, SABHAPUR LONI (GZB.)
MANAGER

नोएडा कॉमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
NOIDA COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

PAY ORDER
शाखा Branch Shastri Nagar Ghaziabad

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

3 1 0 8 2 0 1 8
D D M M Y Y Y Y

Pay ZILA BASIC SHIKSHA ADHIKARI GHAZIABAD or Order
को या उनके आदेश पर

Rupees रुपये THREE THOUSAND ONLY

अदा करें ₹ 3000.00

खा. सं. A/C No. SEQ NO 137.0

PO नई दिल्ली समाशोधन में प्रस्तुत करें
PRESENT IN NEW DELHI CLEARING HOUSE

For Noida Commercial Co-operative Bank Ltd.

केवल आदाता खाता
A/c. Payee Only

⑈113722⑈ 110094277⑆ 12

PARMOD BANSAL
Deed Writer

18552

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

20 AUG 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 169371

दस्तावेज लेखक एसोसिएशन गाजियाबाद

-:1:-

किरायानामा मियाद उन्नतीस वर्षः–

स्टाम्प डयूटी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित नियमानुसार कुल किराये की धनराशि पर 4 प्रतिशत के हिसाब से अदा की जा रही है।

स्टाम्प अंकन–3,000/–रूपये का अदा किया गया है।

हम कि **श्री प्रकाश** पुत्र श्री भगन्ता निवासी सवैहपुर सूबा दिल्ली ———प्रथम पक्ष (सम्पत्ति मालिक) निर्वाचन नं0 एन0एस0एफ0–0064998

एवंम्

शैजल पैरामाउंट शिक्षा समिति द्वारा श्री रामकेश पुत्र श्री भगनता लोनी तहसील लोनी जिला गाजियाबाद.———द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

प्रकाश

क्रमांक 238 तिथि 21/08/2018

स्टाम्प जारी करने का प्रयोजन......

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......

स्टाम्प की धनराशि 1000/-

त्रिलोक चन्द शर्मा स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स नम्बर 59
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 20

पट्टा अनुबंध विलेख

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 3000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1440 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 1500

श्री रीजल पैरामाउंट शिक्षा समिति द्वारा
रामकेश अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री भगवता
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम लोनी जिला गाजियाबाद।

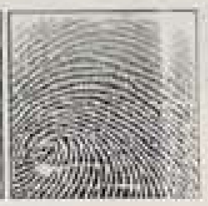

श्री, रीजल पैरामाउंट शिक्षा समिति द्वारा

रामकेश अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/08/2018 एवं 04:59:04 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हनुमत प्रसाद
उप निबंधक सदर चतुर्थ
गाजियाबाद
21/08/2018

गाजियाबाद सदर चतुर्थ लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

पृष्ठ विलेख क्रमांक 5839 तिथि 21/08/2018

स्टाम्प जारी करने का प्रयोजन .... डेवलपर्स पैरामाउंट शिक्षा समिति

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

....

स्टाम्प की धनराशि 1000/-

• त्रिलोक चन्द शर्मा स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स नम्बर 58
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 2019
[illegible] गाजियाबाद

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री प्रकाश, पुत्र श्री भगवत

निवासी: सबेहपुर, सूबा दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

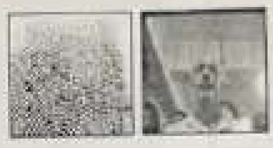

पट्टा गृहीता: 1

श्री रीजन पैरामाउंट शिक्षा समिति के द्वारा रामवीर, पुत्र श्री भगवत

निवासी: [illegible] जिला गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अजित पंवार, पुत्र श्री राजवीर सिंह

निवासी: ग्राम [illegible] जिला गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री संकेत कसाना, पुत्र श्री सुरेन्द्र कसाना

निवासी: ग्राम जावली जिला गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

हनुमान प्रसाद
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
गाजियाबाद

गाजियाबाद सदर चतुर्थ लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

2–यह कि वर्णित सम्पत्ति का प्रतिमाह किराया अंकन 1,000/–रूपये (एक हजार रूपये मात्र) तय पाया है, जिसकी अदायगी द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को हर माह के प्रथम सप्ताह में अदा करेगा।

3–यह कि प्रथम पक्ष ने किरायेदारी की बाबत वर्णित सम्पत्ति का कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

4–यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति अपने नाम से बिजली का कनेक्शन ले सकता है, तथा बिजली के बिल व आदि की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी

5–यह कि उक्त सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष यानि किरायेदार कोई अवैध कार्य नही करेंगा यदि करते है तो उसके जिम्मेदार वह स्वयं रहेगे, तथा द्वितीय पक्ष सम्पत्ति में कोई गैर कानूनी सामान नही रखेगें।

6–यह कि उक्त सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष कोई भी निर्माण का कार्य बिना प्रथम पक्ष की सहमति के नही करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई टूट फूट होती हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष यानि किरायेदार की रहेगी।

प्रमोद

7—यह कि वर्णित सम्पत्ति की किरायेदारी की मियाद समाप्त होने के बाद द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रथम पक्ष को करा देगा।

8—यह कि यदि किरायेदारी अनुबन्ध की अवधि के दोरान प्रथम पक्ष को अपने प्रयोग हेतु /अन्य कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति की आवश्यक्ता होती है तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को एक माह का नोटिस देकर किरायेदारी अनुबन्ध समाप्त करके कब्जा प्राप्त कर लेगा।

9—यह कि वर्णित सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष किसी भी व्यक्ति को रहने व कार्य करने के लिए नही देगा।

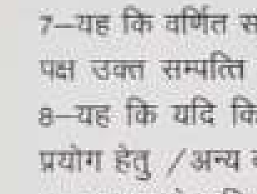

PARMOD BANSAL
Deed Writer
Ch. No. 97
Tehsil Compound, Ghaziabad

10–यह कि यदि वर्णित सम्पत्ति की किरायेदरी समाप्त होने के पश्चात द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को खाली नही करता है, तो खाली कराने में जो कानूनी खर्चा होगा वह द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा।

11–यह कि उपरोक्त सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष किरायेदार **शैजल पैरामाउंट शिक्षा समिति** के नाम से स्कूल चलायेंगे।

प्रकाश

ARMOD BANSAL
Deed Writer
Ch. No.
Tehsil Compound,